न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारीः राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या–2017/00049

दायर दिनांक 07.06.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

–सायल–

बनाम

1. रामचंद्र सिंधी पुत्र मूलचंद सिंधी, मैसर्स दिलीप कुमार एजेन्सी, धन्वंतरी नगर, हॉस्पिटल के पीछे, रतनगढ़ जिला चूरू।
2. रमेश सिंह रावत पुत्र गुमान सिंह रावत, मैसर्स– हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. एसपी–39–40 रिको इंडस्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–गैरसायलान–

परिवाद जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (।।)/51 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित – 1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वास्ते पैरोकार राज।
2. श्री अख्तर रसूल अधिवक्ता वास्ते गैरसायलान।

निर्णय — दिनांक 22.07.2019

यह परिवाद मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरु से प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाइन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार निम्नानुसार है :–

1. यह कि मै मदनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संम्पादन कर रहा हूं। और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझें कार्य क्षेत्र जिला चूरू में आने वाले समस्त स्थानिय क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की प्रतियां न्यायनिर्णयन के आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.06.2016 को 01.00 पी.एम. पर मै0 दिलीप कुमार एजेन्सी,धवन्तरी नगर,हॉस्पिटल के पिछे,रतनगढ़ की गोदाम पर पंहुचा। वहां पर रामचन्द्र सिंधी अपनी गोदाम पर Sweetened Carbonated Beverage Brand Sprite बेचने हेतु रखा पाया गया। मैने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। श्री रामचन्द्र सिंधी से पुछने पर बताया कि मै0 Sweetened Carbonated Beverage Brand Sprite बेचने का कार्य करता हूँ।
3. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि 30 कार्टुन में 750 एमएल की सील बन्द 720 बोतल, Sweetened Carbonated Beverage Brand Sprite,बेचने हेतु पायी गई। Sweetened Carbonated Beverage Brand Sprite,में मिलावट की शंका होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए कि प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5ए की एक प्रति विक्रेता रामचन्द्र सिंधी को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए की प्रति न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है की 750 एमएल के 16 सील बन्द बोतल, Sweetened Carbonated Beverage Brand Sprite, वास्ते जांच नमूना खरीद किया। जिसकी कीमत विक्रेता श्री रामचन्द्र सिंधी को 560–रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री इस्लामुदीन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

अति जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरू

Scanned by CamScanner

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Sweetened Carbonated Beverage Brand Spriteकी सोलह बोतलो को चार–चार बोतल बांधकर नमूने के चार भाग बनाये प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूनें के भाग पर चिपकाये और लेबल पर डी ओ के कोड एवं क्रमांक एल–1289 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर खाद्य पदार्थ की किस्म, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि लेबल पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये चारो नमूनों के भागों को अलग अलग खाखी कागज मे लपेट कर दोनो सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी ओ जिला चूरू की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एल–1289 नियमानुसार चारों नमूनों के भागो पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूने के भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेंपर पर गवाह के हस्ताक्षर करवायें। चारों नमूनों के भागों पर नमूना संख्या, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ की किस्म अंकित कि गई एवं मैंने हस्ताक्षर कर चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके की फर्द रिर्पोट बनाकर खाद्य कारोबार कर्ता एवं गवाह को पढा सुनाकर मौके पर हस्ताक्षर करवाये एवं मैने हस्ताक्षर किया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पर पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार कर नमूने के एक भाग को आउटर कवर में मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति रखकर पुनः नमूना पैक किया एवं धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी लगाकर सील बन्द किया। एवं नमूने पर मुख्य विषलेश्क राज्य, केन्द्रीय प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर का पता लिखकर नमूना संख्या,खाद्य पदार्थ की किस्म एवं दिनांक डालकर मेरे हस्ताक्षर कर राज्य केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर में भिजवाया साथ में एक सील बन्द लिफाफें मे फार्म नम्बर 6 की 02 प्रतियां सील बन्द लिफाफे में अलग से भिजवाया। नमूना जमा कराने की रसीद एवं फार्म नम्बर 6 की प्रतियां जमा कराने रसीद न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। नमूनें के शेष दो भाग फार्म न. 6 की दो प्रतियों के साथ आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अलग से आउटर कवर में नियमानुसार सील बन्द कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अग्रेसण पत्र क्रमांक–537 दिनांक 23.08.2016 प्राप्त हुआ, जिसके साथ खाद्य विशलेषक राज्य, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की रिपोर्ट संख्या एल.एस.1933/एक्ट/2016/2829 दिनांक 10.08.2016 प्राप्त हुई जिसमें विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया Sweetened Carbonated Beverage Brand Sprite, मिसब्राण्डेड होना पाया गया जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

8. मैसर्स–दिलीप कुमार एजेन्सी रतनगढ़ ने माल खरीद का बिल मैसर्स– हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राईवेट लिमिटेड,कालाडेरा का इन्वोइस नं.7051050928 दिनांक 05.06.2016 का पेश किया।

9. श्रीमान् अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चूरू मुख्यालय रतनगढ़ ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/706 दिनांक 28.11.2016 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णय आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया।

10. 10. यह कि उक्त प्रकरण रामचन्द्र सिंधी वगैरह में मिसब्राण्डेड, Sweetened Carbonated Beverage Brand Sprite, का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(I I) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं. 01 व 02 की ओर से दिनांक 31.07.2017 को अधिवक्ता श्री अख्तूर रसूल ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल अधिवक्ता ने दिनांक 11.10.2017 को परिवाद का जवाब पेश किया तथा गैरसायलान के अधिवक्ताओं द्वारा दिनांक 11.10.2017 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.05.2018 को सायल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकित 11.10.2017 का जवाब पेश किया गया। दिनांक को 18.09.2018 को गैरसायल के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना–पत्र कर एफएसएसआई के ताजा संशोधनों बाबत् संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत किये। इस प्रार्थना–पत्र का जवाब दिनांक 08.02.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतनगढ ने बहस में कहा कि खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Beverage Brand Sprite का सेम्पल नं. एल–1289 रिपोर्ट संख्या एल.एस.

अति. जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरू

Scanned by CamScanner

1933 / एक्ट / 2016 / 2829 दिनांक 10.08.2016 के अनुसार पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन हुआ है। खाद्य उत्पाद में मिलाई गई शर्करा की मात्रा का उल्लेख लेबल पर नहीं किया गया है। इसलिए गैरसायल को खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में उल्लेखित शास्ति से गैरसायल को दण्डित किया जावें।

गैरसायल के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। बहस में अंकित किया है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. फा.स. 1–94(94) एफ.एस.एस.ए.आई. / एस.पी. (लेबलिंग) / 2014 दिनांक 11.09.2017 द्वारा उक्त विनियम में किये गये संशोधन के अनुरूप शर्करा की मात्रा को लेबल पर अंकित किये जाने के प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है। एफएसएसएआई की एडवाईजरी दिनांक 17.07.2018 में यह भी कहा गया है कि लेबल की छोटी छोटी गलतियों से मिसब्राण्ड हुए प्रकरणों का तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जावे। न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर ने अपने निर्णय में इन्हीं अधिसूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया है। गैरसायल अधिवक्ता ने अपनी बहस व तर्को के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात (1) 2.10.6 BEVERAGES NON-ALCOHOLIC-CARBONATED गजट की प्रति (2) MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(labelling)/2014 DATE 11-09-17 (3) Notification F.No.1(56)2015/Advisory/FSSAI (pt-1) dated 17-07-18 (4) 2016 (1) FAC 561 पेश कर कहा कि प्रकरण को इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कथन है कि गैरसायल अधिवक्ता ने दिनांक 11.09.2017 की एडवाइजरी पेश की है। यह एडवाईजरी इस प्रकरण में लागू नहीं होती है क्योंकि सैंपल लेने की दिनांक 10.06.2016 है। यह प्रकरण सिविल प्रक्रियाधीन है। इसलिए गैरसायल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता के सिद्धांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैंपल दिनांक 10.06.2019 को लिया गया है। खाद्य सुरक्षा विश्लेषक की रिपोर्ट संख्या एल.एस.1933 / एक्ट / 2016 / 2829 दिनांक 10.08.2016 के अनुसार सैंपल को शर्करा की मात्रा न अंकित न होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। एफ.एस.एस.ए. आई. की अधिसूचना सं. फा.स. 1–94(94) एफ.एस.एस.ए.आई. / एस.पी. (लेबलिंग) / 2014 दिनांक 11.09.2017 द्वारा खाद्य नमूना एवं मानक विनियम, 2011 के नियम 2.10.6(1)(1) में उक्त प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है। इस अधिसूचना का भारत के राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.12.2017 को ऐसे मामलों को विड्रॉ किये जाने संबंधी आदेश जारी किया जा चुका है। इस प्रकार न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के अनुसार उक्त अधिसूचना एवं न्यायिक दृष्टान्तों का लाभ गैरसायलान को देय होता है। इसलिए प्रकरण को इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाना न्यायसंगत है।

अतः गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने संबंधी प्रार्थना–पत्र दिनांकित 18.09.2018 को स्वीकार करके प्रकरण को इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
चूरू

Scanned by CamScanner